रजिस्ट्री सं.डीएल—(एन) 04/0007/2003—18 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—18

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24—नवम्बर 30, 2018 (अग्रहायण 3, 1940)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24—NOVEMBER 30, 2018 (AGRAHAYANA 3, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली–110011, दिनांक 25 अक्तूबर 2018

सं. 21/1918/1985पीएमई(पार्ट–I)––राष्ट्रपति, श्री पदम सिंह, सेवानिवृत्त व्यक्ति को प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में वेतन मैटिक्स के स्तर–13 में प्रधान कर्मचारीवृंद अधिकारी के रूप में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में श्री पदम सिंह की नियुक्ति, प्रधान मंत्री के कार्यकाल के सह–समाप्य आधार पर और उनके विवेकाधीन है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

दिनांक 05 नवम्बर 2018

सं. ए. 12011/2/2016–पीएमई(भाग–II)––राष्ट्रपति शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) नई दिल्ली की वृतिक सहायक सुश्री नीति वर्मा का चयन होने के फलस्वरूप उन्हें प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अलिपिक वर्गीय) के पद पर दिनांक 14.09.2018 (पूर्वाह्न) में प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

2. इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के समय–समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009–स्था. (वेतन. II) में शामिल अनुदेशों/प्रावधानों के अध्यधीन होगी।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2018

सं. ए–11019/1/2000–प्रशा.–III(वि.का.)––आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 255 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एततद्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को तत्काल प्रभाव से उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए एकल रूप से बैठने के लिए प्राधिकृत करती हैः––

क्र. सं.	सदस्य का नाम (सर्वश्री)	पदनाम
1.	संजय गर्ग	न्यायिक सदस्य
2.	टबि टी. वर्की	न्यायिक सदस्य

सुनील सचदेवा, अवर सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली–110011, दिनांक 3 अगस्त 2018

सं. के. 13021/02/2017–यू.एस.–II––राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्रीमती सिन्धु शर्मा, (ii) श्री रशीद अली दार को वरिष्ठता के क्रम में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के. 13011/01/2018–यू.एस.–I––राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति कुट्टियिल मात्यु जोसफ को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13011/03/2018-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कुमारी न्यायमूर्ति ईन्दिरा बनर्जी को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13011/03/2018-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.-13017/02/2018-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें 17 अगस्त, 2018 को या इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13021/01/2018-यू.एस.II—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कुमारी न्यायमूर्ति गीता मित्तल को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13022/1/2018-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, को अपने पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13024/5/2018-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति हृषिकेश राय, को अपने पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13026/2/2018-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति विजया कमलेश तहिलरमानी, को अपने पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13028/03/2018-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार, को अपने पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13027/03/2018-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति कल्पेश सत्येन्द्र झवेरी को अपने पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13028/4/2018-यू.एस-II–राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मुकेशकुमार रसिकभाई शाह, को अपने पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 6 अगस्त 2018

सं. के.-11019/07/2018-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठम न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति हुलुवाड़ि गंगाधरप्पा रमेश को कुमारी न्यायमूर्ति ईन्दिरा बनर्जी की भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उनके मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय प्रभार छोड़ने की तिथि से लेकर और श्रीमती न्यायमूर्ति विजया कमलेश तहिलरमानी के मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार संभालने तक मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.-11019/07/2018-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति राजीव शर्मा को श्री न्यायमूर्ति कुट्टियिल मात्यु जोसफ की भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उनके उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय प्रभार छोड़ने की तिथि से उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.-11019/07/2018-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति नरेश हरिशचंद्र पाटिल को श्रीमती न्यायमूर्ति विजया कमलेश तहिलरमानी की मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उनके बंबई उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय प्रभार छोड़ने की तिथि से बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.-11019/07/2018-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति श्रीपती रवीन्द्रा भट्ट को कुमारी न्यायमूर्ति गीता मित्तल की जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उनके दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय प्रभार छोड़ने की तिथि से लेकर और श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन के दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार संभालने तक दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.–11019/07/2018–यू.एस–II––राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति रवि रंजन को श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन का दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण के फलस्वरूप उनके पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय प्रभार छोड़ने की तिथि से लेकर और श्री न्यायमूर्ति मुकेशकुमार रसिकभाई शाह के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार संभालने तक पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.-11019/07/2018-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय के वरिष्ठम न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति इन्द्रजीत माहान्ती को श्री न्यायमूर्ति विनीत सरन की भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उनके उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय प्रभार

छोड़ने की तिथि से लेकर और श्री न्यायमूर्ति कल्पेश सत्येन्द्र झवेरी के उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार संभालने तक उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 29 अगस्त 2018

सं. के-13032/01/2018-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा को अपने पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13030/01/2018-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्व/श्री न्यायमूर्ति (i) अशोक कुमार गौड़, (ii) मनोज कुमार गर्ग, (iii) इन्द्रजीत सिहँ और (iv) डॉ. विरेन्द्र कुमार माथुर को अपने पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 4 सितम्बर 2018

सं. के.-11019/07/2018-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी को श्री न्यायमूर्ति अजित सिंह, गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृति के पश्चात दिनांक 06 सितंबर, 2018 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 13 सितम्बर 2018

सं. के-13012/03/2018-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्व/श्री न्यायमूर्ति (i) महबूब अली, (ii) रंग नाथ पाण्डेय, (iii) अनिरुद्ध सिंह, (iv) दिनेश कुमार सिंह-I, (v) इफाकत अली खाँ और (vi) उमेश चन्द्र त्रिपाठी को अपने पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13022/01/2018-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) डॉ. न्यायमूर्ति शिवा नन्द पाठक और (ii) श्री न्यायमूर्ति राजेश शंकर को अपने पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13028/03/2018-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्व/श्री न्यायमूर्ति (i) बिरेन्द्र कुमार (ii) अरविन्द श्रीवास्तव (iii) विनोद कुमार सिन्हा (iv) संजय प्रिय और (v) संजय कुमार को अपने पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं ।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 20 सितम्बर 2018

सं. के.-11019/07/2018-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति देबाशीष कर गुप्ता को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की सेवानिवृति के पश्चात दिनांक 25 सितम्बर, 2018 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 20 सितम्बर 2018

सं. के.-13018/01/2018-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें 04 अक्टूबर, 2018 को या इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं ।

सुषमा तामशेटे, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

(अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2018

सं. अ–19011/10/2012–अ.प.सं.––राष्ट्रपति, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 के अपराह्न से श्री पंकज विठल (केन्द्रीय सचिवालय सेवा), उप सचिव, अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय (गृह मंत्रालय) को स्थाई रूप से निदेशक के पद पर, अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय (गृह मंत्रालय) में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

काशी नाथ, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर 2018

सं. 14012/01/2015–अ.भा.से.III––भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2013 बैच की सदस्य सुश्री विजया कृष्णा को दिनांक 30.07.2016 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2018

सं. 21/पीए-III/2018—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरांत, श्री पी आनन्द कुमार, अवर सचिव, 31.10.2018 अपराह्न को भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-I पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुमन सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (पीए-III)

सं. 22/पीए-III/2018—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरांत, श्रीमति कुसुम लता यादव, अवर सचिव, 31.10.2018 अपराह्न को भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-I पद से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

सुमन सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (पीए-III)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर 2018

सं. ए–12011/1/2018–स्थापना––राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 10.10.2018 के आदेश संख्या टी–37/2018 के अनुसरण में, श्री रोहित कुमार परमार (आई.ई.एस. : 1984) को उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक

वितरण मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 15 (1,82,200/– से 2,24,100/– रु.) में, दिनांक 18.10.2018 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार पाण्डेय, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली–110016, दिनांक 31 अक्तूबर 2018

सं. ए–22012/04/2017–प्रशा.I(ए)––राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अवर सचिव श्री बलम सिंह भंडारी को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरांत दिनांक 31.10.2018 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एच. के. भट्ट, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

नई दिल्ली–110023, दिनांक 31 अक्तूबर 2018

सं. ए. 11019/12/2014–एलएंडपी(एचपीएल)––राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, डॉ. रमेश मुनुकुंतला को पीबी 3 वाले वेतनमान 15,600––39,100/– रु. + ग्रेड वेतन 5,400/– रु. (संशोधित पूर्व), 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन मैट्रिक्स के लेवल–10 में 56,100––1,77,500/– रु. के वेतन तथा नियमों के अंतर्गत यथादेय भत्तों पर होम्योपैथी भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में वैज्ञानिक अधिकारी (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के रूप में नियुक्त करते हैं।

बनमाली नाइक, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई–400001, दिनांक 31 अक्तूबर 2018

सं. 6(2837)/2018–प्रशा./13707––राष्ट्रपति, श्री एस. ए. मेश्राम, प्रशासनिक अधिकारी–III [वेतन मैट्रिक्स का लेवल–11] बीएआरसी, मुंबई को दिनांक 23 अक्तूबर 2018 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में अवर सचिव [वेतन मैट्रिक्स का लेवल–11] के रूप में नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 2018

सं. 01/2018.ए-32014/1/2014-प्रशासन––कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.09.2018 के आदेश सं. 6/4/2018 सीएस.I(एस) द्वारा वर्ष 2016 के लिए वरीयता कोटा (एसक्यू) में केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की प्रवर सूची में नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने श्रीमती दविन्दर एस. प्रकाश को 04.10.2018 से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सातवें केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत वेतन बैंड-8 में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी (सीएसएल एजी सं. 2003/1960) के रूप में नियुक्त किया है।

आई. बी. लैंका, अवर सचिव

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली–110001, दिनांक 14 नवम्बर 2018

सं. 19020/65/2008–एससीडी–VI––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 17.09.2018 के आदेश सं. 36/01/2018–ईओ(एसएम–I) के अनुसरण में, श्री प्रीतम सिंह, आईएएस (आरजे : 84) को 18.09.2018 (पूर्वाह्न) की प्रभावी तिथि से सचिव, भारत सरकार के रैंक एवं वेतन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के सचिव के रूप नियुक्त करते हैं।

एन. एस. वेंकटेश्वरन, अवर सचिव

इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र)

लखनऊ–226001, दिनांक 31 अक्तूबर 2018

सं. पीएफ/1331/एनआईसी/2018–प्रशा.––श्री सोमेश कुमार, वैज्ञानिक–एफ (कर्मचारी कोडः 1331), राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, लखनऊ से 31 अक्तूबर, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गये हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

अबू बकर, वैज्ञानिक–ई

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2018

सं. ई (ओ)III–2018/आरएन/38––श्री एस. के. लोहिया, भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (जन्म तिथि : 02.10.1964, डीआईटीएसः 13/06/1988; लिएनः उत्तर रेलवे) का इंडियन रेलवे स्टेशनस डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.आर.एस.डी.सी.) में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 17/10/2018 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

रंजनेश सहाय, सचिव

———————

सं. ई (ओ)III–2018/आरएन/39––श्री मनोज कुमार दुबे, भारतीय रेल सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी (जन्म तिथि : 01.05.1970, एवं डीआईटीएसः 04/09/95) ने कॉनकोर में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप 31/10/2018 (अपराह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

रंजनेश सहाय, सचिव

———————

दिनांक 5 नवम्बर 2018

सं. ईआरबी-I/2018/2/1—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के निम्नलिखित वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (सीनियर पीपीएस) उनके नाम के सामने दी गई तारीख से [पे बैंड-4 रु. 37,400-67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,700/- (संशोधन पूर्व)] में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के प्रमुख स्टाफ अधिकारी (पीएसओ) के ग्रेड में पदोन्नत किए गए हैं:—

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री/सुश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	एस. बी. गांधी	13.07.2018 (अपराह्न)
2.	अनीता मल्होत्रा	13.07.2018 (पूर्वाह्न)

रंजनेश सहाय, सचिव

———————

दिनांक 8 नवम्बर 2018

सं. ईआरबी-1/2018/2/77—राष्ट्रपति जी, श्री विश्वेश चौबे, आईआरएसई, महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, को 01.11.2018 के पूर्वाह्न से सदस्य (इंजीनियरिंग), रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रुप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रंजनेश सहाय, सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2018

सं. ए-12011/2/2016-एस एल—राष्ट्रपति, श्री परमात्मा कुमार सिंह को 08.10.2018 (पूर्वाहन) से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (रू 56100-177500) में दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में सहायक कार्यकारी अभियंता (यान्त्रिक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे.के. गोस्वामी, सहायक निदेशक (एसएल)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अक्तूबर 2018

सं.09/फा.सं.2-18/62/2018-प्रशा.II—केंद्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा की अधिकारी, श्रीमती निर्मला पाण्डेय, (पत्नी: श्री चन्द्र मोहन पाण्डेय), जो वर्तमान में सीएसएसएस के विद्युत मंत्रालय संवर्ग की सहभागी यूनिट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में निजी सचिव (चयन सूची वर्ष–2013) के पद पर कार्यरत हैं, भविष्य में ''श्रीमती निर्मला पाण्डे (पत्नीः श्री चन्द्र मोहन पाण्डे)'' के रूप में जानी जाएंगी।

सतिन्दर कौर, अवर सचिव

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2018

सं.–ए–32013/1/2017–न.ग्रा.नि.सं./प्रशा.III/अमृत–IIए––राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री आर. मुरलीधर नायक, नगर एवं ग्राम नियोजक को नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में वेतन मेट्रिक्स के लेवल 12 (संशोधन पूर्व वेतन बैंड–3 रु. 15600–39100/– रु. ग्रेड वेतन र 7600/–) में दिनांक 16.07.2018 से अगले आदेशों तक नगर एवं ग्राम नियोजक (जीसीएस ग्रुप 'ए' राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजीव कुमार दास, अवर सचिव

दिनांक 11 अक्तूबर 2018

सं.–ए–31013/1/2014–न.ग्रा.नि.सं./प्रशा.III(पीपीएण्डसी)/अमृत–II/ए––राष्ट्रपति नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आवासन औरशहरी कार्य मंत्रालय में निम्नलिखित सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक को उनके नाम के सामने वर्णित तारीख से मूल रूप से पद पर नियुक्त करते हैं:––

क्रम सं.	नाम	तारीख
1.	श्री अरविंद कौशिक	01.07.2017

राजीव कुमार दास, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 25th October 2018

No. 21/1918/1985-PME(Pt.I)—The President is pleased to appoint Shri Padam Singh, a retired person, as Principal Staff Officer in the Personal Staff of Prime Minister in Level-13 of the pay matrix with effect from the forenoon of 01st April, 2018.

2. The appointment of Shri Padam Singh in the personal staff of Prime Minister is co-terminus with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

———————

The 5th November 2018

No. A. 12011/2/2016-PME(Vol.II)—Consequent upon her selection, Ms. Niti Verma, Professional Assistant of National Institute of Educational Planning & Administration (NIEPA), New Delhi, has been appointed to the post of Assistant Library & Information Officer (General Central Service, Group 'B', Gazetted Non-Ministerial) in Level-7 of Pay Matrix in the Prime Minister's Office on deputation basis w.e.f. 14.09.2018 (F/N), initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The terms and conditions of her appointment to the post of Assistant Library & Information Officer in this Office on deputation basis will be governed by the instructions/provisions contained in the Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/8/2009-Estt. (Pay. II) dated 17.06.2010, as amended from time to time.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 1st November 2018

No. A-11019/1/2000-Admn. III(LA)—In pursuance of sub-section (3) of Section 255 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorizes the following Members of the Income Tax Appellate Tribunal to sit singly for the purpose of the said sub-section:—

Sl. No.	Name of the Member (S/Shri)	Designation
1.	Sanjay Garg	Judicial Member
2.	Aby T. Varkey	Judicial Member

SUNEEL SACHDEVA, Under Secretary

———————

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 3rd August 2018

No. K. 13021/02/2017-US.II — In exercise of the powers conferred by Section 95 of the Constitution of Jammu & Kashmir, the President is pleased to appoint (i) Smt. Sindhu Sharma, (ii) Shri Rashid Ali Dar, to be Judges of the Jammu and Kashmir High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

———————

No. K-13011/01/2018-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Kuttiyil Mathew Joseph, Chief Justice of the Uttarakhand High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

———————

No. K-13011/03/2018-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Kumari Justice Indira Banerjee, Chief Justice of the Madras High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India with effect from the date she assumes charge of her office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K-13011/03/2018-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Vineet Saran, Chief Justice of the Orissa High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13017/02/2018-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Rajendra Menon, Chief Justice of the Patna High Court, as the Chief Justice of the Delhi High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Delhi High Court on or before 17th August, 2018.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13021/1/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by Section 95 of the Constitution of Jammu & Kashmir, the President is pleased to appoint Kumari Justice Gita Mittal, Judge of the Delhi High Court, to be the Chief Justice of the Jammu & Kashmir High Court with effect from the date she assumes charge of her office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13022/1/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Aniruddha Bose, Judge of the Calcutta High Court, to be the Chief Justice of the Jharkhand High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13024/5/2018-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Hrishikesh Roy, Judge of the Kerala High Court, to be the Chief Justice of the Kerala High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13026/2/2018-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shrimati Justice Vijaya Kamlesh Tahilramani, Judge of the Bombay High Court, to be the Chief Justice of the Madras High Court with effect from the date she assumes charge of her office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13027/03/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Kalpesh Satyendra Jhaveri, Judge of the Rajasthan High Court, to be the Chief Justice of the Orissa High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13028/03/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Arun Kumar, Additional Judge of the Patna High Court, to be a Judge of the Patna High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13028/4/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Mukeshkumar Rasikbhai Shah, Judge of the Gujarat High Court, to be the Chief Justice of the Patna High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 6th August 2018

No. K-11019/07/2018-US.I—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Huluvadi Gangadharappa Ramesh, senior-most Judge of the Madras High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Kumari Justice Indira Banerjee, relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Madras High Court consequent upon her appointment as a Judge of the Supreme Court of India till Shrimati Justice Vijaya Kamlesh Tahilramani assumes the charge of her office as the Chief Justice of the Madras High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K-11019/07/2018-US.I—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Rajeev Sharma, senior-most Judge of the Uttarakhand High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Kuttiyil Mathew Joseph relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Uttarakhand High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K-11019/07/2018-US.I—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Naresh Harishchandra Patil, senior-most Judge of the Bombay High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Shrimati Justice Vijaya Kamlesh Tahilramani relinquishes charge of the office of the Acting Chief Justice of the Bombay High Court consequent upon her appointment as the Chief Justice of the Madras High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K-11019/07/2018-US.I—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Shripathi Ravindra Bhat, Judge of the Delhi High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Kumari Justice Gita Mittal relinquishes charge of the office of the Acting Chief Justice of the Delhi High Court consequent upon her appointment as the Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court and till Shri Justice Rajendra Menon assumes the charge of his office as the Chief Justice of the Delhi High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K-11019/07/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Dr. Justice Ravi Ranjan, senior-most Judge of the Patna High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Rajendra Menon relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Patna High Court consequent upon his transfer as the Chief Justice of the Delhi High Court and till Shri Justice Mukeshkumar Rasikbhai Shah assumes the charge of his office as the Chief Justice of the Patna High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K-11019/07/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Indrajit Mahanty, senior-most Judge of the Orissa High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Vineet Saran, relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Orissa High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India till Shri Justice Kalpesh Satyendra Jhaveri assumes the charge of his office as the Chief Justice of the Orissa High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 29th August 2018

No. K. 13032/01/2018-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sharad Kumar Sharma, Additional Judge of the Uttarakhand High Court, to be a Judge of the Uttarakhand High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13030/01/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (i) Ashok Kumar Gaur (ii) Manoj Kumar Garg, (iii) Inderjeet Singh, and (iv) Dr. Virendra Kumar Mathur, Additional Judges of the Rajasthan High Court, to be Judges of the Rajasthan High Court with effect from the date they assume charge of their offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 4th September 2018

No. K.11019/07/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Arup Kumar Goswami, senior-most Judge of Gauhati High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 06th September, 2018 consequent upon the retirement of Shri Justice Ajit Singh, Chief Justice of the Gauhati High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 13th September 2018

No. K. 13012/03/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (i) Mahboob Ali (ii) Rang Nath Pandey, (iii) Aniruddha Singh, (iv) Dinesh Kumar Singh- I, (v) Ifaqat Ali Khan and (vi) Umesh Chandra Tripathi, Additional Judges of the Allahabad High Court, to be Judges of the Allahabad High Court with effect from the date they assume charge of their offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No.K.13022/01/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Dr. Justice Shiva Nand Pathak and (ii) Shri Justice Rajesh Shankar, Additional Judges of the Jharkhand High Court, to be Judges of the Jharkhand High Court with effect from the date they assume charge of their offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13028/03/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (i) Birendra Kumar (ii) Arvind Srivastava, (iii) Vinod Kumar Sinha, (iv) Sanjay Priya and (v) Sanjay Kumar, Additional Judges of the Patna High Court, to be Judges of the Patna High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 20th September 2018

No. K-11019/07/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Debasish Kar Gupta, senior-most Judge of Calcutta High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 25th September, 2018 consequent upon the retirement of Shri Justice Jyotirmay Bhattacharya, Chief Justice, Calcutta High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

New Delhi-110011, the 20th September 2018

NO. K-13018/01/2018-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Pritinker Diwaker, Judge of the Chhattisgarh High Court, as a Judge of the Allahabad High Court and to direct him to assume charge of his office in the Allahabad High Court on or before 04th October, 2018.

SUSHMA TAISHETE, Joint Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT)

New Delhi, the 28th September 2018

No. A-19011/10/2012-ISC (Pt.)—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Vithal as Director (Central Secretariat Service), Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs on regular basis with effect from the forenoon of 27th September, 2018 vide DOPT O.M. No. 3/1/2017-CS-I(D) dated 27.09.2018.

KASHI NATH, Deputy Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 22nd October 2018

No. 14012/01/2015-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Ms. Vijaya Krishna, a member of the Indian Administrative Service of 2013 batch in the Indian Administrative Service, with effect from 30/07/2016.

JYOTNSA GUPTA, Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st November 2018

No. 21/PA.III/2018—On attaining the age of superannuation, Shri P. Anand Kumar, Under Secretary retired from Grade I of Indian Foreign Service (B) on the afternoon of 31.10.2018.

SUMAN SINGH, Administrative Officer (PA.III)

———————

No. 22/PA.III/2018—On attaining the age of superannuation, Smt. Kusum Lata Yadav, Under Secretary retired from Grade I of Indian Foreign Service (B) on the afternoon of 31.10.2018.

SUMAN SINGH, Administrative Officer (PA.III)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 29th October 2018

No. A-12011/1/2018 Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs Order No. T-37/2018 dated 10.10.2018, the President is pleased to appoint Shri Rohit Kumar Parmar (IES : 1984) as Sr. Economic Adviser in the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution in the Level 15 of the Pay Matrix (₹ 1,82,200/- to ₹ 2,24,100/-) with effect from the forenoon of 18.10.2018 and until further orders.

ANIL KUMAR PANDEY, Under Secretary

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 31st October 2018

No. A-22012/04/2017-Admn.I (A)—The President is pleased to retire Shri Balam Singh Bhandari, Under Secretary, in the Department of Science & Technology from Government service on attaining the age of superannuation w.e.f. 31.10.2018 (AN).

H. K. BHATT, Under Secretary

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

New Delhi-110023, the 31st October 2018

No. A-11019/12/2014-L&P (HPL)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ramesh Munukuntla as Scientific Officer (Microbiology) in the pay scale PB-3, Rs. 15600—39100/- + GP Rs. 5400/- (pre revised), as per 7th CPC, pay in Level-10 of Revised Pay Matrix Rs. 56,100—177,500/- and other allowances as admissible under Rules, in the Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad (HPL).

BANAMALI NAIK, Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 31st October 2018

No. 6(2837)/2018-Adm./13707—The President is pleased to appoint Shri S. A. Meshram, Administrative Officer-III (Level-11 of Pay Matrix), BARC, Mumbai as Under Secretary (Level-11 of Pay Matrix) in DAE Sectt., Mumbai with effect from the forenoon of 23rd October, 2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA, Under Secretary

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 10th October 2018

No. 01/2018.A.32014/1/2014-Admn.—Consequent upon inclusion of her name in Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2016 against Seniority Quota (SQ) vide Department of Personnel and Training Order No.6/4/2018-CS.I(S) dated 19.09.2018, the President is pleased to appoint Smt. Davinder S. Parkash as Section Officer (CSL AG No. 2003/1960), on regular basis w.e.f. 04.10.2018, in the Pay Level 8 – as per 7th CPC in the Ministry of Youth Affairs & Sports Cadre of Central Secretariat Service (CSS), until further orders.

I. B. LENKA Under Secretary

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT)

New Delhi-110001, the 14th November 2018

No. 19020/65/2008/SCD-VI—In pursuance of the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions' Order NO. 36/01/2018-EO (SM-I) dated 17.9.2018, the President is pleased to appoint Shri Pritam Singh, IAS (RJ:84) as Secretary, National Commission for Scheduled Castes, New Delhi in the rank and pay of Secretary to the Government of India with effect from 18.09.2018 (F/N).

N.S. VENKATESHWARAN Under Secretary

MINISTRY OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY
(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

Lucknow-226001, the 31st October 2018

No. PF/1331/NIC/2018/Adm.—Shri Somesh Kumar, Scientist-F (Emp. Code: 1331) of National Informatics Centre, Lucknow is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st October, 2018 and he stands relieved of his duties from the same day.

ABU BAKAR, Scientist-E

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 1st November 2018

No. E(O)III-2018/RN/38—Consequent upon his permanent absorption in Indian Railway Stations Development Corporation Ltd. (IRSDC), Shri S. K. Lohia, a senior administrative grade officer of the Indian Railway Service of Engineers (DOB: 02/10/1964, DITS: 13/06/1988, LIEN: NR), has resigned from Railway service with effect from 17/10/2018 (F/N).

RANJANESH SAHAI, Secretary

———————

No. E(O)III-2018/RN/39—Consequent upon his permanent absorption in CONCOR, Shri Manoj Kumar Dubey, Senior Administrative Grade officer of the Indian Railway Accounts Service (DoB: 01/05/70, DITS: 04/09/95), has resigned from Railway service with effect from 31/10/2018 (AN).

RANJANESH SAHAI, Secretary

The 5th November 2018

No. ERB-I/2018/2/1—The following Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) Grade Officers of Railway Board Secretariat Stenographers' Service (RBSSS) have been promoted to Principal Staff Officer (PSO) Grade [PB-4, Rs. 37,400-67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- (pre-revised)] of Railway Board Secretariat Stenographers' Service (RBSSS) with effect from the date indicated against each:—

Sl. No.	Name (S/Shri/Ms.)	Date of Joining
1.	S.B. Gandhi	13.07.2018(A.N.)
2.	Anita Malhotra	13.07.2018(F.N.)

RANJANESH SAHAI, Secretary

———————

The 8th November 2018

No. ERB-I/2018/2/77—The President is pleased to appoint Shri Vishwesh Chaube, IRSE, General Manager, Northern Railway, as Member (Engineering), Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India with effect from forenoon of 01.11.2018.

RANJANESH SAHAI, Secretary

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 19th November 2018

No. A-12011/2/2016-SL—The President is pleased to appoint Shri Parmatma Kumar Singh to the post of Assistant Executive Engineer (Mechanical) in Level 10 (Rs. 56100-177500/-) in the Pay Matrix in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from 08.10.2018 (Forenoon).

J. K. GOSWAMI, Assistant Director (SL)

MINISTRY OF POWER

New Delhi-110001, the 18th October 2018

No. 09/ F.No. 2-18/62/2018-Adm.II—Smt. Nirmala Pandey (wife of Shri Chandra Mohan Pandey), a Central Secretariat Stenographers Service Officer, presently working as Private Secretary (Select List Year - 2013) in Central Electricity Authority, a participating unit of Ministry of Power cadre of CSSS, shall henceforth be known as "Smt. Nirmala Pande (wife of Shri Chandra Mohan Pande)".

SATINDER KAUR, Under Secretary

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

New Delhi, the 25th September 2018

No. A-32013/1/2017-TCPO-Admin.III/AMRUT-IIA—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri R. Muralidhara Naik, Associate Town & Country Planner to the post of Town & Country Planner (GCS Group 'A' Gazetted) in Level 12 of the Pay Matrix (pre-revised PB-3, Rs. 15600—39100/- + Grade Pay Rs. 7600/-) in Town & Country Planning Organisation (TCPO), Ministry of Housing and Urban Affairs with effect from 16.07.2018 till further orders.

RAJEEV KUMAR DAS, Under Secretary

———————

The 11th October 2018

No. A.31013/1/2014-TCPO/Admn.III (PP&C)/AMRUT-IIA—The President is pleased to appoint the following Assistant Town and Country Planner in Town & Country Planning Organisation, Ministry of Housing and Urban Affairs substantively to the post with effect from the date mentioned against his name :—

Name	Date
Shri Arvind Kaushik	01.07.2017

RAJEEV KUMAR DAS, Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF THE PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI DHAR DUBEY
Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2018.11.24 12:19:42 +05'30'